

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 05.09.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-03 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना खरगपुर पुलिस द्वारा 02, थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. जगदीश पुत्र मंगरे नि० चन्दहा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-299/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामविलास पुत्र लालमनि नि० ग्राम सेखुई थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-295/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना खरगपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. श्यामदेव पुत्र रामनयन नि० ग्राम भवनियापुर गौसिया थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-226/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सुनीता पत्नी नन्हे नि०ग्राम नटपुरवा मौजा डुडाव थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-213/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामसूरत पुत्र दुलारे नि० देवरहना पचपुती जगतापुर थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-261/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. जोगिन्दर पुत्र जगन नि० ग्राम खिरौरा मोहन थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-336/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

07. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. मैकूलाल पुत्र मन्दूलाल नि० नरायनपुर रामापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-284/21, 02. भारत पुत्र लक्ष्मण नि० देइयापुर मौजा कटरा भोकचन्द्र थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-285/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

08. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. मंगल निषाद पुत्र जयबक्श निषाद नि० ग्राम मशिवगढ़ केवटन पुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-236/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

09. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. जटाशंकर पुत्र जगजीवन नाऊ नि० कोचवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-174/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 05.09.2021

थाना करनैलगंज ने गैरइरादतन हत्या करने के 02 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 करनैलगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान गैरइरादतन हत्या करने के 02 वांछित अभियुक्तों—01. किशन सिंह, 02. अभिषेक सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तों ने दिनांक 03.09.2021 को जमीनी विवाद के चलते बलवा करते हुए वादी संदीप सिंह व उसके परिजनों को लाठी-डण्डों से मारा-पीटा था। जिससे वादी की माँ को गम्भीर चोटें आयी थी और उनकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. किशन सिंह पुत्र उमेश प्रताप सिंह नि0 ग्राम बटौरा बख्तावर थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।
02. अभिषेक सिंह पुत्र तेज बहादुर सिंह नि0 ग्राम बटौरा बख्तावर थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—320/21, धारा 147,323,504,506,308,304 भादवि थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ0नि0 महिमानाथ उपाध्याय मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 05.09.2021

नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के वांछित अभियुक्त दीपक कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना छपिया क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ उसके घर में घुसकर छेड़छाड़ किया था तथा जानमाल की धमकी भी दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तग—

01. दीपक कुमार वर्मा पुत्र राकेश वर्मा नि० तालागंज ग्रन्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—246/21, धारा 354ख,452,504,506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ०नि० राजकुमार सिंह मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 05.09.2021

सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 04 व्यक्ति गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 नगर पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 04 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल-820/- रुपये एवं ताश के 52 पत्ते बरामद किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना को0 नगर मे जुआ अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. गोपाल पुत्र थमबहादुर नि0 आसरा आवास निकट सर्किट हाउस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. नूर खॉ पुत्र शहजाद खॉ नि0 नैय्यर कालोनी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
03. संजय सिंह पुत्र कौलविन सिंह नि0 काशीराम कालोनी निकट आश्रम पद्धति थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
04. आशीष पुत्र अनिल कुमार नि0 काशीराम कालोनी निकट आश्रम पद्धति थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-686/2021 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी

01. रू0 820/- नगद
02. 52 ताश के पत्ते।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ0नि0 चन्द्र प्रताप सिंह मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 05.09.2021

थाना परसपुर ने गैरइरादतन हत्या करने के 03 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

दिनांक 03.09.2021 को थाना परसपुर में वादी शिवकुमार मिश्रा द्वारा अपने ही गांव के रहने वाले 05 लोगों के विरुद्ध एक राय होकर मारने-पीटे व उसकी मोटरसाईकिल तोड़ देने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। दिनांक 04.09.2021 को वादी शिवकुमार मिश्रा की जिला अस्पताल में ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। मृतक की प्राप्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आयी चोटो व प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय में गैरइरादतन हत्या की धारा की बढोत्तरी की गयी थी। जिसमें आज परसपुर पुलिस ने घटना से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों—01. दीनानाथ पाठक, 02. सत्यनारायण, 03. प्रदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. दीनानाथ पाठक पुत्र बालगोविन्द पाठक नि० विशुनपुर कला थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
02. सत्यनारायण सिंह पुत्र सत्यदत्त सिंह नि० विशुनपुर कला थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
03. प्रदीप सिंह पुत्र दानपाल सिंह नि० विशुनपुर कला थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—235/21, धारा 147,323,504,506,427,304 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ०नि० दीवानचन्द्र रावत मय टीम।

